सप्तदश

बिहार विधान सभा

षष्ठम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 08 आषाढ़, 1944 (श०)
29 जून, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 08

(1)	ग्रामीण विकास विभाग - -	03
(2)	श्रम संसाधन विभाग - -	01
(3)	ग्रामीण कार्य विभाग - -	01
(4)	पंचायती राज विभाग - -	01
(5)	जल संसाधन विभाग - -	01
(6)	पथ निर्माण विभाग - -	01
	कुल योग --	08

मानव दिवस सृजित करना

29. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के लिये महात्मा गाँधी, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के बजट में कटौती की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को 20 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य दिया गया था लेकिन वर्ष 2022-23 के बजट में 15 करोड़ मानव दिवस का ही लक्ष्य दिया गया है, जो विगत वित्तीय वर्ष की मनरेगा के बजट से 25 फीसदी कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपने संसाधन से अतिरिक्त 5 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने

30. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार में 62 प्रतिशत लोगों के पास ही शौचालय की सुविधा, देश में सबसे कम जबकि 99.1 प्रतिशत घरों में पेयजल की बेहतर सुविधा" के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (एन0एफ0एच0एस0) 2019 एवं 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 62 प्रतिशत लोगों के पास ही शौचालय उपलब्ध है जबकि 38 प्रतिशत परिवार शौचालय विहीन है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के सभी परिवारों को कबतक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

31. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण और पूर्वी चम्पारण जिलों में सिंचाई की मुख्य नहर त्रिवेणी नहर के 182.50 आर0डी0 से 472.00 आर0डी0 तक एवं शाखा नहरों का सफाई और मरम्मती का कार्य मई-जून माह 2022 से चल रहा है जिसमें 1750 मजदूरों को 26 दिन काम देना था लेकिन केवल मशीन से कार्य पूरा करने के बाद भी सिंचाई प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य में हो रही अनियमितता की जाँच के लिये 6 जून, 2022 को जल संसाधन विभाग के सचिव के द्वारा आदेश देने के बावजूद जाँच नहीं हुआ, जबकि वर्षा और बाढ़ के बाद जाँच संभव नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कार्य में अनियमितता की जाँच कराकर दोषी अभियंताओं और संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान राशि में वृद्धि

32. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों को वर्ष 2016 में निर्धारित दर के आधार पर केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु एक लाख पैंतीस हजार और शौचालय हेतु बारह हजार कुल एक लाख सैंतालिस हजार की स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि विगत छः वर्षों में निर्माण सामग्रियों के साथ-साथ मजदूरी दर दोगुना हो जाने के चलते लाभुकों को 95 प्रतिशत आवास अर्धनिर्मित रह जाता है, यदि हाँ, तो सरकार महंगाई के मद्देनजर उक्त योजना मद में अपने संसाधन से अनुदान राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

33. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पंचायत चुनाव, 2020 को सम्पन्न हुये लगभग 6 माह हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषदों में सात स्थायी समितियों का गठन निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा किया जाना है, परन्तु राज्य में अभीतक मात्र 1 जिला परिषद्, 3 पंचायत समिति, 13 ग्राम पंचायतों में स्थायी समितियों का गठन निर्वाचन द्वारा किया गया है। शेष 37 जिला परिषदों, 531 पंचायत समितियों एवं 8374 पंचायतों में गठन नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में स्थायी समितियों का निर्वाचन द्वारा गठन कराने तथा विलम्ब के दोषी पंचायती राज संस्थाओं एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अन्य निविदा प्रणाली लाना

34. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के शीर्ष 3054 के अन्तर्गत होने वाले कार्य हेतु ग्लोबल निविदा निकाली जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्लोबल निविदा निकालने से छोटे-छोटे संवेदक निविदा प्राप्त करने से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्य प्रमंडल, दानापुर सहित राज्य के अन्य प्रमंडलों में ग्लोबल निविदा के स्थान पर छोटे-छोटे संवेदकों के हित में कोई अन्य निविदा प्रणाली लाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक ।

(2) बिहार ग्रामीण अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा निर्गत संकल्प (पत्रांक 5227, दिनांक 12 नवम्बर, 2018) के अनुसार यथा संभव कार्य प्रमंडलवार/कार्य अनुमंडलवार पथों का पैकेज तैयार कर निविदा की जा सकेगी का प्रावधान है । जिन योजनाओं के पैकेज में निविदा आमंत्रित की जाती है की निविदित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी के संवेदक निविदा में भाग लेते हैं ।

(3) कंडिका 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

कार्रवाई करना

35. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार में बेरोजगारी दर 21.1 प्रतिशत देश में 7.83, हरियाणा टॉप पर" के आलोक में क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी (C.M.I.E) के आँकड़े के मुताबिक माह अप्रील, 2022 में बिहार में बेरोजगारी दर 21.1 प्रतिशत हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय पैमाने पर यह आँकड़ा 7.83 प्रतिशत है, जबकि बिहार में राष्ट्रीय औसत से बेरोजगारी 13.27 प्रतिशत अधिक हो चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में बढ़ते बेरोजगारी दूर करने के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । C.M.I.E एक निजी संस्था है इनके द्वारा आँकड़ों के संकलन की विधि ज्ञात नहीं है । विदित हो की इनके अनुसार बिहार में माह अप्रील में बेरोजगारी दर 21.1 प्रतिशत था परंतु मई, 2022 में घट कर बेरोजगारी दर 13.3 प्रतिशत हो गया है । इन आँकड़ों को सत्यापन संभव नहीं है ।

(2) अस्वीकारात्मक । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा जारी किये गये PLFS आँकड़ों के हिसाब से जनवरी, 2022-मार्च, 2022 तिमाही में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8.2 थी।

(3) बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना के द्वारा समय-समय पर नियोजन मेला/कैम्प का आयोजन किया जाता है जिसमें पिछले पाँच वर्षों से अबतक कुल 1,01,264 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं ।

पुनः श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिकाधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा रोजगार-उन्मुख बनाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :--

1. सभी जिलों में वृहद स्तर पर नियोजन मेला एवं नियोजन कैम्प का आयोजन किया जा रहा है ।

2. Domain Skill में युवाओं को ट्रेड विशेष में रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा रोजगार सहायता प्रदान किया जाता है ।

3. KYP (Kushal Yuwa Program) इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण, भाषा कौशल तथा व्यवहार कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ।

4. PMKYP (Prime Minister Kaushal Yuwa Program) योजनान्तर्गत रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

5. ITI संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये उच्चस्तरीय सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा रहा है ।

6. हर जिले में कौशल प्रशिक्षण हेतु मेगा स्कील सेन्टर की स्थापना का प्रस्ताव है ।

कार्रवाई करना

36. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 मई, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "भ्रष्टाचार का मलबा बनते ही उद्घाटन से पहले ढह गया था 8.50 करोड़ का पुल, अब मलबा हटाने पर 1.75 करोड़ रुपये का खर्च" के आलोक में क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अन्तर्गत बसघट्टा में बागमती नदी पर वर्ष 2014 में 8.50 करोड़ रुपये की लागत से मानक के विपरीत निर्माण सामग्रियों के उपयोग के कारण पुल उद्घाटन से पूर्व ध्वस्त हो जाने के बाद पुनः ध्वस्त पुल के सामानान्तर 14 करोड़ रुपये की राशि की लागत से नया पुल निर्माण हुआ है और ध्वस्त हुये पुल के मलबा को हटाने हेतु 1.75 करोड़ रुपये की राशि खर्च किये जा रहे हैं, किन्तु पूर्व में निर्मित पुल के ध्वस्त होने की न तो जाँच की गई न हीं किसी दोषी पर कार्रवाई की गई, यदि हाँ, तो सरकार मानक के विपरीत निर्माण सामग्रियों से बने ध्वस्त पुल की लागत एवं मलबा हटाने की लागत की वसूली दोषी पदाधिकारियों एवं सहित संवेदक से करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अन्तर्गत बागमती नदी की शाखा पर रून्नी सैदरपुर-कटरा-क्वेटसा पथ के चैनेज 26.15 किलो मीटर पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा निर्मित आर0सी0सी0 पुल वर्ष 2014 में ध्वस्त हो गया था ।

पुनः RCPLWEA योजनान्तर्गत ध्वस्त पुल के Down Stream में 8 x 18.60 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण वर्ष 2021-22 में कराया गया है । पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं आवागमन चालू है ।

क्षतिग्रस्त हुये निर्माणाधीन पुल के संबंध में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक 2658 अनु0, दिनांक 10 सितम्बर, 2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके तहत संबंधित संवेदक एवं Consultant M/S Park Projects Consultancy Pvt. Ltd. Delhi के विरुद्ध उनके स्तर पर कार्रवाई किये जाने की सूचना देते हुये संबंधित अभियंताओं को निलम्बित करते हुये अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी । तद्आलोक में आलोच्य कार्य से संबंधित अभियंताओं/पदाधिकारियों को निलम्बित करते हुये उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया एवं दंडित किया गया है ।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा Design Consultant M/S Park Projects Consultancy Pvt. Ltd. Delhi एवं संवेदक श्री दिलीप कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है ।

पटना :
दिनांक 29 जून, 2022 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0पु0, 24(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550